झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना प्रारूप

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा राज्यान्तर्गत सरकारी एवं गैर-सरकारी फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया, सीटों का वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण एवं परीक्षा संचालन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

(i) यह नियमावली ''झारखण्ड राज्यान्तर्गत फार्मेसी शिक्षण संस्थान हेतु नामांकन प्रक्रिया नियमावली, 2022'' कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. संस्थान प्रारंभ करने की प्रक्रिया-

राज्य में फार्मेसी शिक्षण संस्थान प्रारंभ करने हेतु द फार्मेसी एक्ट, 1948 की धारा 12 के तहत भारतीय भैषज्य परिषद् द्वारा नीति निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त बी0फार्म0 एवं अन्य उच्च फार्मेसी शिक्षण संस्थान प्रारंभ करने हेतु विभागीय आदेश सं0 167(10) दिनांक-25.11.2020 द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा इन सभी को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाये जा सकते हैं।

3. सीटों का वर्गीकरण-

सरकारी संस्थानों में छात्र-छात्राओं के नामांकन हेतु सभी सीटों को झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से नियमानुसार की गई अनुशंसा के आधार पर पूर्व की भांति भरे जायेंगे।

गैर-सरकारी फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में निर्धारित कुल 50 प्रतिशत मुक्त सीट (Open Seat) एवं 50 प्रतिशत प्रबंधन सीट (Management Seat) के आधार पर नामांकन होगा।

4 चयन प्रक्रिया-

वर्तमान में सरकारी संस्थानों में छात्र-छात्राओं के नामांकन हेतु पूर्व से ही झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा एवं काउंसिलिंग की जा रही है।

गैर-सरकारी फार्मेसी शिक्षण संस्थानों के 50 प्रतिशत मुक्त सीट (Open Seat) में नाामांकन हेतु सरकारी संस्थानों में नामांकन के लिए निर्धारित विहित प्रक्रिया के अनुरुप ही काउंसिलिंग करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। शेष 50 प्रतिशत प्रबंधन सीट (Management Seat) नामांकन हेतु झारखण्ड संयुक्त प्रवेश पर्षद् द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

राज्य के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में भी सभी सीटों पर नामांकन हेतु छात्र-छात्राओं को झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है।

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हत्तांक निम्नलिखित होगा जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा समय-समय पर इस परिप्रेक्ष्य में निर्गत की गई अधिसूचनाओं के अनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-2)	36.5 प्रतिशत
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-1)	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् के द्वारा परिणाम घोषित किये जाने के तीन माह के भीतर सम्पन्न कर लिया जायेगा, जिसके उपरांत नामांकित किए गए समस्त विद्यार्थियों की विस्तृत विवरणी झारखण्ड राज्य फार्मेसी काउंसिल को समर्पित की जाएगी।

झारखण्ड राज्य फार्मेसी काउंसिल के द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के सूची अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित की जायेगी।

गैर-सरकारी संस्थानों में कर्णांकित 50 प्रतिशत मुक्त सीटों (Open Seat) पर नामांकन झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता के आधार पर तैयार मेधा सूची के आधार पर होगा।

प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों का वर्गीकरण नियमावली की कंडिका-4 के अनुसार होगा।

5. आरक्षण-

राज्य सरकार के अधीन संचालित होने वाले संस्थानों में पूर्व से चले आ रहे आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किया गया संशोधन स्वतः प्रभावी होगा।

गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के 50 प्रतिशत मुक्त सीट (Open Seat) के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे।

6. शुल्क का निर्धारण-

गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के 50 प्रतिशत मुक्त सीट (Open Seat) के विरुद्ध विभाग द्वारा यथा अधिसूचित शुल्क लिया जाएगा।

7. नामांकन की अर्हता-

राज्यान्तर्गत सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के सभी पाठ्यक्रम के लिए भारतीय भैषज्य परिषद् (Pharmacy Council Of India), नई दिल्ली एवं झारखण्ड राज्य फार्मेसी काउंसिल (Jharkhand State Pharmacy Council), राँची द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता लागू होंगे तथा समय-समय पर इसमें किये जाने वाले संशोधन स्वतः प्रभावी होंगे।

8. निरसन एवं व्यवृति-

इस नियमावली के विषयों पर पूर्व से निर्गत अधिसूचना/संकल्प/आदेश इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से निरस्त समझे जायेंग, परन्तु ऐसे निरसन के बावजूद इस नियमावली के प्रावधान इस संबंध में निर्गत आदेशों पर प्रभाव डालने वाली या उन्हें अमान्य करने वाली नहीं समझी जायेंगी। ऐसे सभी कृत्य प्रभावी समझे जायेंगे एवं इस नियमावली के संगत उपबंधों के अधीन किये गए समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

सं0सं0 : 06/फार्मेसी-08-23/2022 राँची, दिनांकः-

प्रतिलिपिः-नोडल पदाधिकारी-सह-उप सचिव, वित्त विभाग को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। कृपया, इसकी 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

अपर मुख्य सचिव

सं0सं0 : 06/फार्मेसी-08-23/2022 राँची, दिनांकः-

प्रतिलिपिः-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, नामकुम, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

सं0सं0 : 06/फार्मेसी-08-23/2022 राँची, दिनांकः-

प्रतिलिपिः-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष/सदस्य सचिव, डिप्लोमा-इन-फार्मेसी परीक्षा समिति, झारखण्ड, राँची/प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची/निबंधक, झारखण्ड फार्मेसी काउंसिल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव